न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 137/2023 निर्णय दिनांकः– 10-10-25
(जीसीएमएस संख्या 2023/358)

1. ममदे खां पुत्र खानू खां जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष साकिन मोतीगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29–01–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29–01–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन के मुरब्बा नम्बर 221/64 के प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा चक 3 एम.एम.डब्ल्यु. के मुरब्बा नम्बर 221/63 तादादी 25 बीघा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मुरब्बा नम्बर 221/64 की 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। तथा उसके पश्चात प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते खसरा नम्बर 221/64 की 25 बीघा भूमि का आवंटन तो कर दिया गया परन्तु खसरा नम्बर 221/63 की भूमि का आवंटन पेडिग रख दिया गया। तथा बिना आदेश खसरा नम्बर 221/63 का पट्टा काट दिया गया। जबकि अपीलांट दोनो मुरब्बो का पात्र था। उक्त आदेश जारी करनते वक्त अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को समुचित अवसर प्रदान किये बिना अन्य विकल्प लिए आदेशिका दिनांक 01–06–1999 को केवल मुरब्बा नम्बर 221/63 का आवंअन कर मुरब्बा नम्बर 221/64 पर बिना टीका टिप्पणी किए लंबित छोड़ दिया गया। जबकि आदेश दिनांक 29–01–1999 में दोनो मुरब्बा का हवाला रहा है। अन्य कोई आवेदन नही रहा है। ना ही आवेदन या पेडिंग का हवाला उक्त आदेशिका पर रहा है। अपीलांट को बिना सूचना दिये बिना एकतरफा तौर पर पत्रावली बिना पेशी में दिखाए केवल एक मुरब्बा का आवंटन कर दिया जबकि पत्रावली में दोनो मुरब्बो के आवंटन पटा जारी करने के आदेश थे। सारी कार्यवाही रिकॉर्ड के प्रतिकुल परस्पर विरोधाभासी होने के कारण शुन्य है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी उक्त मुरब्बा आवंटन करवाने का अधिकारी है तथा समस्त राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–01–1999 अधीनस्थ न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ मुकाम बीकानेर निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट को मुरब्बा नम्बर 221/64 की 25 बीघा भूमि के बदले अपीलांट को विकल्प में अन्यत्र रकबा आवंटन करने के आदेश प्रदान करे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष अपीलांट द्वारा चक 3 एम.एम.डब्ल्यु. के मुरब्बा नम्बर 221/63 तादादी 25 बीघा मुरब्बा नम्बर 221/64 की 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवंटन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 29–01–1999 द्वारा अपीलांट को चक 3 एम. एम. डब्ल्यु. के मुरब्बा नम्बर 221/63 व 221/64 की भूमि का पात्र मानकर आवेदन स्वीकार किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश जारी करते समय केवल मुरब्बा नम्बर 221/63 के 25 बीघा भूमि का ही आवंटन आदेश जारी किया गया। मुरब्बा नम्बर 221/64 के 25 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी नही हुआ। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29–01–1999 में इस भूमि को विशेष आवंटन हेतु स्वीकार किया गया था।

पत्रावली पर इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है कि उक्त आवंटन कभी खारिज किया गया हो।

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन यदि खारिज नही हुआ हो, वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं हुई हो तथा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 10-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर